


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2016/ज्येष्ठ 25, 1938

No. 188]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2016/JYAISTHA 25, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 जून, 2016

फा.सं. 12011/14/2016-बीसी-II .- जबकि भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग-I, खंड-I, जीएन सं. 186 सोमवार, 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित दिनांक 10.09.1993 के भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी के तहत राज्य: आंध्र प्रदेश: सामान्य सूची: पम्बाला को क्र.सं. 20 पर शामिल किया गया था।

जबकि उक्त समुदाय "पम्बाला"को आंध्र प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर दिया गया है, उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया गया है, नामतः

क्र.सं. 20 प्रविष्टि नामतः "पम्बाला" जाति को आंध्र प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़े वर्ग की केन्द्रीय सूची से हटा दी गई है।

बी.एल.मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
RESOLUTION

New Delhi, the 13th June, 2016.

No.12011/14/2016-BC-II. – Whereas by the Resolution of the Government of India, Ministry of Welfare bearing No.12011/68/93-BCC dated 10.9.1993 published in Extra Ordinary issue of the Gazette of India, Part-I, Section-I, G.N.No.186, Monday, September 13, 1993 in the State : Andhra Pradesh: Common List : Pambala was included against S.No.20 in the Central List of OBCs.

Whereas the said community “Pambala” have been included in the list of Scheduled Caste of Andhra Pradesh, therefore the following amendment is made in the said Resolution namely:

S.No.20 and entry namely “Pambala” caste stands deleted from the Central List of OBCs for the State of Andhra Pradesh.

B. L. MEENA, Jt Secy.